न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 27 / 2012

प्रार्थी
भींयाराम पुत्र चंदारामजी
जाति–बिश्नोई, निवासी–
कबूली की ढाणी, तहसील
व जिला–सांचौर

बनाम

अप्रार्थीगण
1 मगराज पुत्र राजाजी
2 तेजाराम पुत्र राजारामजी
3 लालाराम पुत्र जगराम
4 जोधा पुत्र सिमरथा
5 रिड़मल पुत्र सिमरथा
कौम–बिश्नोई, निवासीगण–कबूली
की ढाणी, तहसील व जिला–सांचौर
6 सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचौर

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

तारीख रजु :– 03.09.2012

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम बिश्नोई उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धवलचन्द बिश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 06 बावजूद तामील (सूचना) अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही।

:– निर्णय :– दिनांक :– 25.07.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का पेश किया, बाद कार्यालय टिप्पणी प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद मौजा कबूली की ढाणी, पटवार मण्डल–गुन्दाउ के खेत खसरा संख्या 1015 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1016 रकबा 0.22 हैक्टेयर आये हुए है। उक्त खेत के पास में खसरा संख्या 1012 रकबा 0.04 हैक्टेयर जिसमें भी मेरा राजस्व रेकर्ड के अनुसार अंश है जिसमें 1/6 हिस्सा है इसी कदर हमारे व अप्रार्थी तेजाराम व मगराज के आने जाने के लिए कदीमी का रास्ता चल रहा था जो आवागमन में काम आ रहा है। परन्तु राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है आज से 20 वर्ष पूर्व द्वितीय सेटलमेंट हुआ तो उस वक्त भूमि पैमाइश की गई तब भी यह रास्ता मौके पर मौजूद होने से आवागमन का रास्ता हमारे संयुक्त खातेदारी में रकबा 0.10 हैक्टेयर भूमि दर्ज कर दिया जो रास्ता आज भी आवागमन में काम आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 मगराज हमारे आवागमन के कदीमी रास्ते को बार–बार बंद कर आवागमन में दखलंदाजी करता है। खसरा संख्या 1015, 1016 अलग से तरमीमसूदा है तथा पुराने ढाणी खसरा संख्या 1012 व रास्ता खसरा संख्या 1010 वह भी अलग से तरमीमसूदा है तथा खसरा संख्या 1010 संयुक्त खातेदारी में संयुक्त रूप से रास्ता प्रयोजन की भूमि है परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 मनमाने [illegible] से [illegible] खातेदारी में प्रवेश करने के बाद आगे के रास्ते में अवरोध पैदा करता है व रास्ते को बंद कर देता है। जिससे बार–बार ऐसा करने से भारी समस्या का सामना करना पड़ता है इसलिए खसरा संख्या 1010 में आवागमन की समस्या न हो, इसलिए रास्ते का आवागमन के रास्ते खसरा संख्या 1010 का नाप किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:18:31 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

1015 व 1016 की अप्रार्थी संख्या 01 बार–बार सेढ़ा तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास करता है तथा विवाद पैदा करता है व बीच की सीमा को लेकर बार–बार झगड़ा करता है इसलिए किसी तरह का कोई विवाद न हो इस हेतु प्रार्थी के खातेदारी खेत की पैमाईश कर, पैमाईश के अनुसार नेखमबंदी किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने उभपक्षकरान् की बहस सुनी गई, अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 1015 व 1016 की माठ आदि तोड़कर तथा खसरा संख्या 1010 संयुक्त खातेदारी में संयुक्त रूप से रास्ता प्रयोजनार्थ भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 मनमाने ढंग से रास्ता दोनों तरफ बंद कर देता है जिससे प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। इस कारण उपरोक्त खेतों की पैमाईश कर प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण के खेतों की सीमा पर नेखमबंदी किये जाने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी ने नेखमबंदी की आड़ में हमारे खेतों पर जबरन कब्जा करना चाहते है अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र का न तो जवाब से प्रतिकार किया है तथा न ही इस संबंध में ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया है कि जिससे यह माना जावें कि खेत खसरा संख्या 1015 व 1016 व संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 1010 गैर मुमकिन रास्ता बाबत् कोई विवाद न हो इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी सबूत पेश नहीं करने की सूरत में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी द्वारा खेत खसरा संख्या 1015, 1016 की जमाबंदी की नकल तथा जिसमें उपरोक्त खेतों की खातेदारी प्रार्थी भींयाराम के नाम दर्ज है व इसी प्रकार खसरा संख्या 1010 गैर मुमकिन रास्ता जो प्रार्थी के कथनों अनुसार उक्त रास्ता प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी खेतों में आने–जाने हेतु संयुक्त खातेदारी में रखा गया की नकले पेश की, इस प्रकार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

फलतः उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण से प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांचौर को आदेशित किया जाता है कि वाके सरहद मौजा कबूली की ढाणी के खेत खसरा संख्या 1015 रकबा 0.14 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1016 रकबा 0.22 हैक्टेयर भूमि का दोनो पक्षों की उपस्थिति में नाप कर उपरोक्त खेतों की सीमा पर स्थाई नेखमबंदी करवाई जावे व खसरा संख्या 1010 रकबा 0.10 हैक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता के दोनों ओर नाप कर सीमा पर स्थाई नेखमबंदी करवाई जावें। स्थाई नेखमबंदी का [illegible] खर्चा प्रार्थी स्वंय वहन करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.08.14 11:58:01 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner